प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in
Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः– 307 /76याता0 (क)–उ0/2018 दिनांकः 19 मार्च, 2018

सेवा में,

(1) मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,लो0नि0वि0
देहरादून/टिहरी/पौड़ी/हल्द्वानी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

(2) मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0,
हल्द्वानी/देहरादून।

(3) रीजनल ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58/37 बलबीर रोड डालनवाला,
देहरादून।

(4) कमाण्डेन्ट,
सीमा सडक संगठन,
प्रोजेक्ट शिवालिक,
आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर–।।
पी0एम0जी0एस0वाई0,
देहरादून/अल्मोडा।

(6) मुख्य अभियन्ता
यू0एस0आर0आई0पी0/ए0डी0बी0,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

(7) मुख्य अभियन्ता
ए0डी0बी0 /आपदा, U.E.A.P.
आई0आई0टी0पार्क, देहरादून।

(8) मुख्य अभियन्ता
विश्व बैंक, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषय :– ब्लैक स्पॉट एवं अन्य दुर्घटना सम्भावित स्थलों के सुधारीकरण हेतु आने वाले व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1027/प्रवर्तन/स0सु0/1–8 (38)/2018 दिनांक 09.03.2018 (संलग्न)

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, अवगत कराना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, सडक सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठकों में पारित निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक मार्गों पर घटित होने वाली दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को 50 प्रतिशत कम किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मार्गों की सही दशा होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये आवश्यक है कि मार्गों पर स्थित चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स तथा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स से इतर अन्य चिन्हित दुर्घटना सम्भावित स्थलों का सुधारीकरण किया जाय, जिसके सापेक्ष Road Safety के परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु DPR अलग–अलग गठित कर तत्काल प्रेषित किये जांय, ताकि आवश्यक बजट का प्राविधान समय से किये जाने हेतु शासन को प्रेषित किया जा सके।

क्रमशः पेज नम्बर 02 पर.........................

अतः उपरोक्तानुसार DPR गठित कर तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को दिशा निर्देश निर्गत किये जांय।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।

2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।

3– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।

4– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / USRIP / UEAP / UDRP / PMGSY..... .... को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी) / अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

6– आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु ।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या–107/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(38)/2018 दिनांक 07 मार्च, 2018

सेवा में,

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. रीजनल ऑफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58/37, बलबीर रोड़,
डालनवाला, देहरादून।

3. कमान्डेट,
सीमा सड़क संगठन,
शिवालिक परियोजना, आई0डी0पी0एल0,
वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून।

4. मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग विंग,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषयः <u>ब्लैक स्पॉट एवं अन्य चिन्हीत दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधारीकरण हेतु आने वाले व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठकों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत राज्य में अवस्थित ब्लैक स्पॉट एवं अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों का सुधारीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आप अवगत है कि वर्ष 2020 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को 50 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सड़कों का सही दशा में होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य में अवस्थित ब्लैक स्पॉट एवं अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधारीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, का आंगणन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत स्थित ब्लैक स्पॉट एवं अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधारीकरण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में पर्याप्त धनराशि का बजट प्राविधान कराने का कष्ट करें और इस कार्य पर आने वाले व्यय का विवरण प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव/परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालयः कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाषः 0135–2608105, 2608106, फैक्सः 2608108 ई–मेलः rscelluk@gmail.com